केनरा बैंक Canara Bank
भारत सरकार का उपक्रम A Government of India Undertaking
सिंडिकेट Syndicate

Ref: SD/195/196/11/12/2026-27 **22.07.2026**

The Vice President **BSE Ltd.** **Phiroze Jeejeebhoy Towers** **Dalal Street** **Mumbai - 400 001** **Scrip Code: 532483**	**The Vice President** **Listing Department** **National Stock Exchange of India Ltd** **Exchange Plaza** **Bandra-Kurla Complex, Bandra [E]** **Mumbai - 400 051** **Scrip Code: CANBK**

Dear Sir/Madam,

Subject: Special Window for Transfer and Dematerialisation of Physical Securities – Newspaper Publication

This is in continuation of our earlier intimation letters dated 02.04.2026 and 09.06.2026 bearing reference no. SD:570/571/11/12:2025-26 and SD:131/132/11/12:2026-27 respectively. In this regard, please find enclosed herewith copy of Newspaper Publication in Financial Express (English), Jansatta (Hindi) and Vijayavani (Kannada) published on 22.07.2026 for attention of the shareholders of the Bank regarding Special Window for Transfer and Dematerialisation Requests of Physical Shares.

This is for your information and records.

Thanking You,

SANTOSH KUMAR BARIK
Digitally signed by SANTOSH KUMAR BARIK
Date: 2026.07.22 18:56:38 +05'30'

Santosh Kumar Barik
Company Secretary

सचिवीय विभाग
प्रधान कार्यालय
112, जे सी रोड, बेंगलूरु - 560002
E-Mail - hosecretarial@canarabank.com

Secretarial Department
Head Office
112 J C Road, Bengaluru - 560002
www.canarabank.bank.in

F +91 80 22248831
T +91 80 22100250

TO CONNECT STAKEHOLDERS, INCLUDING MCA, REGULATOR, IPs

Unified digital platform for insolvency on the anvil

MANU KAUSHIK
New Delhi, July 21

THE INSOLVENCY FRAMEWORK is all set for its biggest tech overhaul since its inception with the Ministry of Corporate Affairs (MCA) releasing a blueprint for the Integrated Platform for Insolvency Ecosystem (iPIE).

This will be a single digital platform connecting various authorities like NCLT, NCLAT, Insolvency and Bankruptcy Board of India (IBBI), MCA, and stakeholders such as Information Utility (IU), Insolvency Professionals (IPs), lenders, valuers and bidders.

According to the ministry, this platform will replace the current fragmented workflow with an end-to-end digital process that will reduce duplication, speed up decision-making and provide a common source of truth across the insolvency ecosystem.

The MCA's consultation paper on iPIE seeks to address one of the biggest operational shortcomings of the Insolvency and Bankruptcy Code (IBC). While the law envisages time-bound resolution, the IBC ecosystem continues to function through multiple standalone portals and manual information exchange, forcing IPs to repeatedly coordinate among tribunals, regulators, creditors and other stakeholders.

This results in avoidable delays, higher compliance costs and procedural bottlenecks that have often eroded the value of stressed assets before they can be resolved.

Announced by the Finance Minister in her Budget 2024-25 speech, the integrated tech platform will have implications beyond digitisation, and MCA's paper gives the first glimpse into how the system would work. For instance, every insolvency proceeding would receive a unique iPIE identification number linked with NCLT filings. Claims, public announcements, Committee of Creditors (CoC) meetings, valuation reports, litigation, compliance filings, e-voting, virtual data rooms, auctions, distribution of proceeds and even post-resolution implementation would be managed through the same platform instead of separate systems.

Experts said that through the platform, the government hopes to reduce administrative costs, improve adherence to statutory timelines and allow IPs to focus more on value maximisation than paperwork. "The case for iPIE rests on a real structural problem: the IBC ecosystem runs on standalone systems such as NCLT e-courts, IBBI's portal, MCA-21, NeSL, where information moves through limited, largely manual channels leaving insolvency professionals to manually coordinate information across regulators, creditors and the tribunal.

In a regime whose value proposition is time-bound resolution, that fragmentation shows up directly in CIRP timelines and, ultimately, in recovery outcomes," said Nirali Mehta, partner at Mindspright Legal.

REDUCING BOTTLENECKS

- The integrated tech platform will have implications beyond digitisation
- Every insolvency proceeding would receive a unique iPIE identification number linked with NCLT filings

Through the platform, the government hopes to reduce administrative costs

केनरा बैंक Canara Bank
Syndicate
H.O., 112, J. C. ROAD, BENGALURU-560 002

SPECIAL WINDOW FOR TRANSFER AND DEMATERIALISATION OF PHYSICAL SECURITIES

Pursuant to the SEBI Circular No. HO/38/13/11(2)2026-MIRSD-POD/ I/3750/2026 dated January 30, 2026, all shareholders are hereby informed that a special window to facilitate transfer and dematerialisation ("demat") of physical securities which were sold/ purchased prior to April 1, 2019 has been opened for a period of one year from **February 05, 2026 to February 04, 2027.**

This facility is available for transfer deeds lodged prior to April 1, 2019 and which were rejected/returned/not attended due to deficiency in the documents/process/ otherwise.

Investors may submit their request along with necessary documents till **February 04, 2027,** with the Registrar & Transfer Agent (RTA) of the Bank.

The details of RTA are as under:
KFin Technologies Limited
(Unit: Canara Bank)
Selenium Tower B, Plot 31 & 32,
Gachibowli, Financial District, Nanakramguda,
Hyderabad - 500 032 Toll Free No.: 1800-309-4001
Email: einward.ris@kfintech.com

We also request all the shareholders to update KYC details including PAN, Email ID, Address, Mobile Number and Bank Account Details with the DP (if shares are held in demat form) or with RTA (if shares are held in physical form), to ensure the ease of communication and seamless payment of dividend.

Shareholders holding shares in physical form are requested to demat their shares, by submitting share certificate to their Depository Participant (DP).

Bank had released previous newspaper advertisement on special window for Transfer and Dematerialisation of Physical Securities on **April 02, 2026 and June 09, 2026.**

Transfer and Dematerialisation of Physical Securities requests submitted after **February 04, 2027** will not be accepted by the Bank/RTA.

Place: Bengaluru
Date: 22.07.2026

SD/-
Santosh Kumar Barik
Company Secretary

NATIONAL FERTILIZERS LIMITED
(A Govt. of India Undertaking)
A-11, Sector-24, Noida-201301
Ph.: 0120-2412294/2412445, Extn.1112, Fax: 0120-2412397

E-TENDER NOTICE

Bids are invited on GeM portal for the contract "Upkeep & Maintenance of NFL Corporate Office, NFL Registered Office, NFL House and Crèche Noida" for a period of two years. GeM Tender No. GEM/2026/B/7806190 dated 18.07.2026 Last date for submission is **28.07.2026 by 20:00 (PM).** For details, visit website: **www.nationalfertilizers.com**/GeM Portal. Note: For any corrigendum /addendum kindly refer our website. **Chief Manager I/c (HR-Admin)**

FORM A
PUBLIC ANNOUNCEMENT
(Regulation 14 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Voluntary Liquidation Process Regulations, 2017)
For the attention of the stakeholders of NAMS CHEMICALS PRIVATE LIMITED

1.	NAME OF THE CORPORATE PERSON	NAMS CHEMICALS PRIVATE LIMITED
2.	DATE OF INCORPORATION OF CORPORATE PERSON	30.04.1992
3.	AUTHORITY UNDER WHICH CORPORATE PERSON IS INCORPORATE/REGISTERED.	Registrar of Companies, Delhi-II
4.	CORPORATE IDENTITY NUMBER	U74899DL1992PTC048573
5.	ADDRESS OF THE REGISTERED OFFICE AND PRINCIPAL OFFICE (IF ANY) OF CORPORATE PERSON	1308, Best Sky Tower, F-5 Netaji Subhash Place, Pitampura, Delhi-110034, India.
6.	LIQUIDATION COMMENCEMENT DATE OF CORPORATE PERSON	18.07.2026
7.	NAME, ADDRESS, EMAIL ADDRESS, TELEPHONE NUMBER AND THE REGISTRATION NUMBER OF THE LIQUIDATOR	Gyaneshwar Sahai OS-2, II Floor, The Next Door, Sector-76, Faridabad, Haryana-121004 Email: gyaneshwar.sahai@gmail.com Mobile No. 9953541408 IBBI Registration No: IBBI/IPA-002/IP-N00130/2017-18/10546
8.	LAST DATE FOR SUBMISSION OF CLAIMS	17.08.2026

Notice is hereby given that the **NAMS Chemicals Private Limited** has commenced voluntary liquidation on 18.07.2026.

The stakeholders of **NAMS Chemicals Private Limited** are hereby called upon to submit a proof of their claims on or before 17.08.2026 to the liquidator at the address mention against item no 7.

The financial creditors shall submit their proof of claims by electronic means only. All other stakeholders may submit the proof of claims in person, by post or by electronic means.

Submission of false or misleading proofs of claim shall attract penalties.

Sd/-
Date : 20.07.2026 Gyaneshwar Sahai
Place : Faridabad IBBI Registration No: IBBI/IPA-002/IP-N00130/2017-18/10546

NATIONAL FERTILIZERS LIMITED
(A Govt. of India Undertaking)
CIN: L74899DL1974GOI007417
Registered Office: Scope Complex, Core -III, 7, Institutional Area, Lodhi Road, New Delhi 110003 Website: www.nationalfertilizers.com, Email ID: investor@nfl.co.in, Telephone: 011-24360066, 24361252

Notice to Shareholders
FOR TRANSFER OF EQUITY SHARES OF THE COMPANY TO THE INVESTOR EDUCATION AND PROTECTION FUND (IEPF)

This Notice is published pursuant to the provisions of Section 124(6) of the Companies Act, 2013 and Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 ("the Rules"), as amended from time to time.

The Rules, inter alia, contain provisions for transfer of all shares in respect of which dividend has remained unpaid or unclaimed by the shareholders for seven consecutive years or more to the Demat account of IEPF Authority.

In this regard, the Final Dividend declared for the financial year 2018-19, which remained unclaimed or unpaid for a period of seven consecutive years will be credited to the IEPF on or after October 24, 2026 but not later than November 23, 2026. The corresponding shares on which dividends were unclaimed or unpaid for seven consecutive years will also be transferred as per the procedure set out in the Rules.

In compliance with the rules, Individual notices have also been sent to all the concerned shareholders whose shares are liable to be transferred to IEPF as per the aforesaid rules, the full details of such shareholders including their names, folio nos. or DP ID/ Client ID is also made available on the Company's Website at **www.nationalfertilizers.com.**

In this connection, please note the following:

1) In case you hold shares in physical form: Duplicate share certificate (s) will be issued and transferred to IEPF. The original share certificate(s) registered in your name(s) and held by you will stand automatically cancelled.

2) In case you hold shares in electronic form: Your demat account will be debited for the shares liable for transfer to the IEPF.

In the event valid claim is not received on or before October 15, 2026, the Company will proceed to transfer the liable dividend and Equity shares in favour of IEPF authority without any further notice. Please note that no claim shall lie against the Company in respect of unclaimed dividend amount and shares transferred to IEPF pursuant to the said rules. It may be noted that the concerned shareholders can claim the shares and dividend from IEPF authority by making an application in the prescribed Form IEPF-5 online and sending the physical copy of the requisite documents enumerated in the Form IEPF-5, to the Company Secretary of the Company.

For any queries on the above matter, shareholders are requested to contact the Company's Registrar and Share Transfer Agent M/s. MAS Services Limited at **investor@masserv.com.**

Place: New Delhi
Date: 22.07.2026

For National Fertilizers Limited,
Sd/-
(Ashok Jha)
Company Secretary

WE HAVE 15 BACKWARD INTEGRATED FACILITIES* MANUFACTURING OVER 9,000 PRODUCTS.**

6 IN INDIA, 6 IN THE US, 2 IN THE UK AND ONE IN MEXICO.*

25+ years of experience in the MIM# industry
#Metal Injection Moulding

Customers in 55 countries^
^Over the last three Fiscals

1,100+ Indian & Global OEM Customers*
*Served during Fiscal 2026

- World's largest manufacturer of precision engineering components using MIM# technology, for the past 6 years^
- Diverse product portfolio caters to automotive, defence, medical, consumer and aerospace sectors
- Expanded manufacturing capabilities over the years and as of March 31, 2026, have the world's largest installed capacity for MIM products (Source: F&S Report)
- Customers across 55 countries in the last three fiscals; long-standing relationships with Indian and global OEMs
- Deployed 436 robots and 476 Internet of Things enabled machines, as of March 31, 2026

INDO-MIM®
COMPLEXITY SIMPLIFIED
www.indo-mim.com

*As of the date of the Red Herring Prospectus | **In Fiscal 2026 | ^ With a market share of 6.8% in terms of revenue from MIM in Calendar Year 2025 (Source: F&S Report)

INDO-MIM LIMITED is proposing, subject to receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to make an initial public offering of its Equity Shares and has filed the RHP along with the Abridged Prospectus dated July 17,2026. The RHP is available on the website of SEBI at www.sebi.gov.in, as well as on the websites of the Stock Exchanges i.e. BSE and NSE at www.bseindia.com and www.nseindia.com, respectively, on the website of the Company at www.indo-mim.com and on the websites of the Book Running Lead Managers ("**BRLMs**"), i.e. HDFC Bank Limited, Axis Capital Limited, ICICI Securities Limited, Kotak Mahindra Capital Company Limited and SBI Capital Markets Limited at www.hdfc.bank.in, www.axiscapital.co.in, www.icicisecurities.com, https://investmentbank.kotak.com/ and www.sbicaps.com, respectively. **Any potential investors should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and for details relating to such risk, see '*Risk Factors*' on page 18 of the RHP filed with SEBI and the Stock Exchanges. Potential investors should not rely on the DRHP filed with SEBI and the Stock Exchanges for making any investment.**

The Equity Shares offered in the Offer have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended ("**U.S. Securities Act**"), or any state securities laws in the United States, and unless so registered may not be offered or sold within the United States, except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the U.S. Securities Act and applicable state securities laws. Accordingly, such Equity Shares are being offered and sold (i) outside of the United States in offshore transactions in reliance on Regulation S under the U.S. Securities Act and the applicable laws of the jurisdiction where those offers and sales occur; and (ii) within the United States to "qualified institutional buyers" (as defined in Rule 144A under the U.S. Securities Act), pursuant to the private placement exemption set out in Section 4(a) of the U.S. Securities Act.

Adfactors 186/26

LG

LG ELECTRONICS INDIA LIMITED
CIN: L32107DL1997PLC220109
Regd. Office: A 24/6, Mohan Cooperative Industrial Estate, Mathura Road, New Delhi 110 044
E-mail: cgc.india@lge.com, Website: www.lg.com/in/
Tel. No.: +91 120 651 6700

29th AGM OF LG ELECTRONICS INDIA LIMITED TO BE HELD

THROUGH VC (VIDEO CONFERENCING)/OAVM (OTHER AUDIO VISUAL MEANS)

1. Notice is hereby given that the 29th AGM (Annual General Meeting) of the Company is scheduled to be held on Friday, August 21,2026 at 11:00 A.M., Indian Standard Time (IST), through VC (Video Conferencing)/ OAVM (Other Audio Visual Means) in compliance with applicable provisions of the Companies Act, 2013 read with General Circular Nos. 14/2020, 17/2020, 20/2020, 02/2021, 19/2021, 21/2021, 03/2022, 10/2022, 11/2022, 09/2023, 09/2024 and 03/2025 and relevant circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA), Government of India and the Securities and Exchange Board of India (SEBI) permitting the holding of AGM through VC or OAVM, without the physical presence of the Members at a common venue, to transact the Ordinary and Special businesses as set out in the Notice.
2. In compliance with the above circulars, Notice of the AGM along with the Annual Report for the Financial Year 2025-2026 will be electronically dispatched to all the shareholders whose email addresses are registered/ available with the Company/ Depository Participants or RTA. For all those shareholders who have not registered, a letter providing the web-link, including the exact path, where complete details of the Annual Report are available will also be sent to their address registered with the Company or as available from the data downloaded from the depositories. However, the Shareholders of the Company may request physical copy of the Notice and Annual Report from the Company by sending a request at cgc.india@lge.com in case they wish to obtain the same.
3. The Notice of the AGM and the Annual Report will also be available on the Company's website www.lg.com/in, the websites of the stock exchanges i.e., National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com and BSE Limited at www.bseindia.com and on the website of the NSDL (agency for providing the Remote e-Voting facility) at https://www.evoting.nsdl.com
   Manner of registering/updating email address:

Dematerialised Holding	Register/update the details in the demat account, as per the process advised by your Depository Participant (DP)
Physical Holding	Register/update the details in the prescribed form ISR-1 along with other relevant forms and supporting documents with RTA of the Company at Kfin Technologies Limited, Unit: LG Electronics India Limited, 301, The Centrium, 3rd Floor, 57, Lal Bahadur Shastri Road, Nav Pada Kurla (West), Mumbai, Maharastra-400070 or by email at Einward.ris@kfintech.com. Member may download the prescribed form from RTA website at https://ris.Kfintech.com/clientservices/isc/isrforms.aspx

4. Shareholders will have an opportunity to cast their vote remotely on the businesses as set out in the Notice of AGM through electronic voting system. The manner of voting remotely for shareholders holding shares in dematerialized mode, physical mode and for shareholders who have not registered their email addresses will be available in the Notice of AGM.
5. The Notice of 29th AGM will be sent to the shareholders in accordance with the applicable laws on their email addresses shortly.

For LG Electronics India Limited
Sd/-
Anuj Goyal
Company Secretary **Noida, July 21, 2026**

घर में आग लगने से मां और दो बेटियों की मौत

तीसरी मंजिल पर हुआ हादसा; फारेंसिक टीम जांच में जुटी, कारणों का नहीं चला पता

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 21 जुलाई।

दिल्ली में लोधी रोड स्थित बीके दत्त कालोनी के एक घर में मंगलवार को आग लगने से एक महिला और उसकी दो नाबालिग बेटियों की मौत हो गई। दिल्ली अग्निशमन सेवा अधिकारी ने बताया कि घर में आग लगने की सूचना सुबह करीब दस बजकर 20 मिनट पर मिली, जिसके बाद दमकल की तीन गाड़ियों को मौके पर भेजा गया। उन्होंने बताया कि आग घर की तीसरी मंजिल पर लगी थी और वहां से दो बच्चियों और एक महिला के शव बरामद हुए हैं। अग्निशमन अधिकारी ने बताया कि सुबह 11:10 बजे तक

आग को बुझा दिया गया।

वहीं, पुलिस ने कहा कि लोधी कालोनी थाने में सुबह 10:26 बजे एक घर में आग लगने की सूचना मिली। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि घर के अंदर तीन लोग मृत पाए गए और मृतकों की पहचान आकांशा शर्मा (40), 12 वर्षीय आराध्या (मित्जी) और आठ वर्षीय मिहिका (रित्ज़ी) के रूप में हुई है। पुलिस अधिकारी ने कहा कि आकांशा शर्मा का 2020 से मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति का इलाज चल रहा था और घटना के समय, उनके पति मोहित शर्मा तथा परिवार के अन्य सदस्य दूसरी मंजिल पर मौजूद थे।

अपराध टीम और फारेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला की टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। फिलहाल किसी गड़बड़ी का कोई संकेत सामने नहीं आया है, फिर भी सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। पुलिस अधिकारी ने कहा कि आग लगने के सटीक कारण की जांच की जा रही है। परिवार को स्थानीय अधिकारियों ने सहायता की पेशकश की है।

इमारत में खड़े वाहनों में लगी आग, आठ लोगों को सुरक्षित निकाला गया

पश्चिमी दिल्ली के फतेह नगर स्थित एक रिहायशी इमारत के पार्किंग क्षेत्र में मंगलवार तड़के आग लगने के बाद आठ लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। दिल्ली अग्निशमन सेवा (डीएफएस) के मुताबिक, मंगलवार तड़के करीब 3:50 बजे जेल रोड पर रणबीर बेकरी के पास फतेह नगर स्थित एक इमारत में आग लगने की सूचना मिली। अग्निशमन अधिकारी ने बताया कि आग की चपेट में पार्किंग में खड़ी दो कारें, दो स्कूटर और भूतल सहित तीन मंजिला रिहायशी इमारत का कुछ हिस्सा आ गया। अग्निशमन कर्मियों ने बताया कि आग बुझाने के दौरान रसोई गैस के दो सिलेंडर फट गए, हालांकि इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ। इमारत में मौजूद सभी आठ लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। शुरुआत में मौके पर दो दमकल गाड़ियों को भेजा गया। आग की तीव्रता बढ़ने पर अतिरिक्त दमकल वाहनों को भी घटनास्थल पर रवाना किया गया। पुलिस अधिकारी ने बताया कि सुबह 6:35 बजे आग पर काबू पा लिया गया। आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल सका है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

खबर कोना

शालीमार बाग में टेंपो की टक्कर से व्यक्ति की मौत

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 21 जुलाई।

उत्तर पश्चिम दिल्ली के शालीमार बाग इलाके में एक तेज रफ्तार टेंपो की चपेट में आने से एक बेघर व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस अधिकारी ने मंगलवार को बताया कि सोमवार को पुलिस नियंत्रण कक्ष (पीसीआर) को सूचना दी गई कि शालीमार बाग के भगवान महावीर मार्ग पर एक व्यक्ति जख्मी पड़ा है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची और उसे बाबू जगजीवन राम मेमोरियल (बीजेआरएम) अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने बताया कि मृतक की पहचान अक्षय लाल यादव के रूप में हुई, जो कई वर्षों से पास के फुटपाथ पर रह रहा था। अपराध टीम और फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (एफएसएल) टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया।

डीडीसी की बैठक में विधायकों ने उठाया फुटपाथों पर अतिक्रमण का मुद्दा

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 21 जुलाई।

उत्तर पूर्वी दिल्ली जिले में सड़कों एवं फुटपाथों पर अतिक्रमण की समस्या को लेकर विधायक परेशान है लेकिन जिला प्रशासन की ओर से इस दिशा में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है। मंगलवार को उत्तर पूर्वी जिला विकास समिति (डीडीसी) की बैठक में विधायकों ने अपने क्षेत्र में बनी इस समस्या को लेकर जिलाधिकारी की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए। विधायकों ने डीएम की अगुवाई में काम करने वाले अलग अलग विभागों की अधिकारियों की लापरवाही पर भी गंभीर चिंता जताई। दरअसल, जिलाधिकारी अजय कुमार स्थानांतरण होने के बाद भी लंबे समय से जिले में काबिज हैं। बैठक की अध्यक्षता डीडीसी अध्यक्ष जितेंद्र महाजन ने की। डीडीसी की बैठक में अतिक्रमण के मुद्दे पर विधायकों ने कहा कि इसको हटाने के नाम पर केवल औपचारिक कार्रवाई की जाती है, जबकि स्थायी समाधान नहीं हो पा रहा है।

डब्ल्यूसीडी ने गर्भवती महिलाओं व लाभार्थियों को बांटा राशन

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 21 जुलाई।

दिल्ली सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग के पूर्वी जिला की ओर से ह्यपोषण भी, पढ़ाई भी॥ अभियान के तहत टेक होम राशन (टीएचआर) वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दिल्ली नगर निगम की उप-महापौर डाक्टर मोनिका पंत ने पूर्वी जिलाधिकारी साधना सिंह, बाल विकास परियोजना अधिकारी (सीडीपीओ) संदीप की उपस्थिति में गर्भवती महिलाओं, धात्री माताओं एवं पात्र लाभार्थियों को टीएचआर वितरित किया। उप-महापौर ने कहा कि स्वस्थ एवं शिक्षित बालक ही राष्ट्र के उज्ज्वल भविष्य की आधारशिला हैं। उन्होंने सभी अभिभावकों से आह्वान किया कि वे अपने बच्चों के पोषण के साथ-साथ उनकी प्रारंभिक शिक्षा एवं समग्र विकास पर भी विशेष ध्यान दें।

वर्ष 2019 का बदरपुर हत्याकांड : अदालत ने तीन लोगों को दोषी ठहराया

नई दिल्ली, 21 जुलाई (भाषा)।

दिल्ली की एक अदालत ने वर्ष 2019 में बदरपुर क्षेत्र में हुई एक व्यक्ति की हत्या के मामले में तीन लोगों को दोषी ठहराया है। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में पूरी तरह सफल रहा है कि आरोपियों ने पुरानी रंजिश के चलते व्यक्ति की चाकू मारकर हत्या की थी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अनुज अग्रवाल चार सितंबर 2019 को राम प्रकाश नामक व्यक्ति की चाकू घोंपकर हत्या करने के आरोपी मनीष उर्फ शिवम, निशु झा और दिवाकर उर्फ मोनू के खिलाफ मामले की सुनवाई कर रहे थे। अदालत ने 10 जुलाई के अपने आदेश में आरोपियों को भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी ठहराया। चार सितंबर 2019 को राम प्रकाश अपने दो बेटों के साथ एक जन्मदिन समारोह से घर लौट रहे थे। मोलरबंद एक्सटेंशन में आरोपियों ने उन्हें रोका और हमला कर दिया।

जलभराव से निपटने को सभी 13 जिलों में समन्वय समितियां गठित

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 21 जुलाई।

दिल्ली में जलभराव की समस्या से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए सभी 13 जिलों में जिला स्तरीय समन्वय समितियों (डीएलसीसी) का गठन किया गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के निर्देश पर गठित इन समितियों का उद्देश्य जलभराव की रोकथाम के लिए एहतियाती कदम उठाना के साथ मानसून की तैयारियों से संबंधित रणनीति और मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) के प्रभावी कार्यान्वयन की निगरानी व मानसून के दौरान और बाद में जलभराव की रोकथाम, उससे निपटने के लिए आवश्यक उपाय सुनिश्चित करना है।

सिंचाई व बाढ़ नियंत्रण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव की ओर से जारी आदेश के अनुसार प्रत्येक जिला स्तरीय समन्वय समिति के अध्यक्ष संबंधित जिलाधिकारी (डीएम) होंगे। समिति में संबंधित नगर निगम के उपायुक्त, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग के संबंधित कार्यकारी अभियंता, लोक निर्माण विभाग के संबंधित कार्यकारी अभियंता, संबंधित नगर निगम/नई दिल्ली नगरपालिका परिषद/दिल्ली छावनी बोर्ड के संबंधित कार्यकारी अभियंता, दिल्ली जल बोर्ड और दिल्ली विकास प्राधिकरण के संबंधित कार्यकारी अभियंता तथा संबंधित जिले के अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (यातायात) शामिल होंगे।

संसद की सुरक्षा में सेंध मामले में आरोपी को अंतरिम जमानत

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 21 जुलाई।

दिल्ली की एक अदालत ने दिसंबर 2023 में संसद की सुरक्षा में सेंध मामले के एक आरोपी को मानवीय आधार पर 30 दिन की अंतरिम जमानत दे दी। हालांकि, अदालत ने स्पष्ट किया कि जमानत की अवधि के दौरान आरोपी मामले से संबंधित किसी भी विषय पर न तो मीडिया से बात करेगा और न ही सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट साझा करेगा। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमित बंसल आरोपी सागर शर्मा की अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहे थे।

याचिका में आरोपी ने कहा कि उसके पिता का 14 जुलाई को कैंसर के कारण निधन हो गया और परिवार का एकमात्र पुरुष सदस्य होने के नाते उसे अंतिम संस्कार के बाद होने वाले धार्मिक अनुष्ठान संपन्न कराने हैं। न्यायाधीश ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि अंतरिम जमानत याचिका मामले के गुण-दोष के आधार पर नहीं, बल्कि मानवीय आधार पर दायर की गई। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि अभियोजन पक्ष ने इस याचिका का विरोध नहीं किया। आदेश की यह प्रति मंगलवार को उपलब्ध हो पाई। अदालत ने सागर शर्मा को 50-50 हजार रुपए के निजी मुचलके और जमानतदार पेश करने की शर्त पर 30 दिन की अंतरिम जमानत दे दी।

लाल डोरा की संपत्तियों का बन रहा डिजिटल रिकार्ड

मालिकों को जल्द मिलेंगे क्यूआर कोड वाले कार्ड

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 21 जुलाई।

राष्ट्रीय राजधानी के लाल डोरा के अंदर आने वाले गांवों के लोगों को अब उनकी संपत्तियों का क्यूआर कोड वाला स्मार्ट पीवीसी कार्ड जारी किया जाएगा। दिल्ली सरकार 48 गांवों की संपत्तियों का डिजिटल रिकार्ड तैयार करवा रही है।

इसको लेकर भारतीय सर्वेक्षण विभाग के साथ समझौता किया गया था, जिसके तहत अब तक 30 गांवों का सर्वेक्षण पूरा हो चुका है, जिनके अंतिम संपत्ति कार्ड तैयार किए जा चुके हैं। इन कार्डों में डिजिटल हस्ताक्षर जोड़ने और स्मार्ट कार्ड जारी करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। दिल्ली सरकार की ओर से आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रम में इन पात्र लोगों को स्मार्ट संपत्ति कार्ड जारी किए जाएंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक में स्वामित्व यानी सर्वे आफ विलेज एंड मैपिंग विद इंप्रोवाज्ड टेक्नोलाजी इन विलेज एरिया योजना पर विस्तार से चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्षों से

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह योजना केवल कागजी रिकार्ड बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी प्रक्रिया अत्याधुनिक डिजिटल प्रणाली पर आधारित है।

लाल डोरा क्षेत्रों में संपत्तियों का व्यवस्थित और प्रमाणिक रिकार्ड उपलब्ध न होने के कारण लोगों को अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। अब दिल्ली सरकार आधुनिक तकनीक के माध्यम से प्रत्येक संपत्ति की स्पष्ट पहचान सुनिश्चित कर रही है।

रेखा गुप्ता ने कहा कि अब तक 12,232 संपत्तियों (पालीगान) का सर्वेक्षण किया जा चुका है। इनमें से 8,423 संपत्तियां विवाद-मुक्त हैं, जो कुल सर्वेक्षित संपत्तियों का लगभग 69 फीसद हैं और इनके स्मार्ट संपत्ति कार्ड जारी करने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। दक्षिण और उत्तर-पश्चिम जिले में सर्वे की गई सभी संपत्तियां विवाद-मुक्त हैं, जबकि अन्य जिलों में भी विवादों के समाधान के साथ आगे की प्रक्रिया जारी है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह योजना केवल कागजी रिकार्ड बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी प्रक्रिया अत्याधुनिक डिजिटल प्रणाली पर आधारित है। योजना के तहत सबसे पहले लाल डोरा क्षेत्र की सीमाओं का चिन्हांकन किया जाता है। इसके बाद भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा ड्रोन के माध्यम से गांव का सर्वे किया जाता है। फिर राजस्व विभाग के अधिकारी ड्रोन सर्वे के नक्शे का वास्तविक स्थिति से मिलान करते हैं। यदि किसी प्रकार की विसंगति सामने आती है तो उसकी रिपोर्ट सर्वेक्षण विभाग को भेजी जाती है, जिसके बाद आवश्यक सुधार किए जाते हैं। इसके बाद संपत्ति का रिकार्ड तैयार कर उसे एक संपत्ति पहचान संख्या (पीआइडी) प्रदान की जाती है। इसी आधार पर संपत्ति का आधिकारिक संपत्ति कार्ड तैयार किया जाता है, जिसे संबंधित जमीन के स्वामी को उपलब्ध कराया जाएगा। कार्ड पर अंकित क्यूआर कोड होने से इसको स्कैन करते ही संबंधित संपत्ति का पूरा डिजिटल फार्म-13 उपलब्ध होगा।

अब राजस्व जिलों के नाम से जाने जाएंगे एमसीडी के बारह जोन

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 21 जुलाई।

दिल्ली में प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक प्रभावी और जनसुविधा के अनुरूप बनाने की दिशा में केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के जोनों के नामों को दिल्ली सरकार के नए राजस्व जिला नामकरण के साथ औपचारिक रूप से एकरूप करने के लिए डीएमसी एक्ट, 1957 की चौदहवीं अनुसूची में संशोधन किया है।

गृह मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना में एमसीडी के 250 वार्डों और उनके संबंधित जोनों का नया विवरण अधिसूचित कर दिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का कहना है कि दिल्ली में प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक स्पष्ट, सुगम और जन-केंद्रित बनाने की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से किया गया संशोधन दिल्ली के राजस्व प्रशासन और नगर निगम प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने में सहायक होगा। शासन व्यवस्था को अधिक सरल, पारदर्शी और ज्यादा प्रभावी बनाया जा सकेगा। प्रशासनिक क्षेत्रों के नामकरण में एकरूपता से विभागों के बीच बेहतर तालमेल स्थापित होगा, योजनाओं का क्रियान्वयन अधिक प्रभावी ढंग से किया जा सकेगा।

शादी का झांसा देकर महिलाओं से ठगी, आरोपी पकड़ा गया

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 21 जुलाई।

दिल्ली पुलिस ने माडलिंग संबंधी काम और शादी का झांसा देकर कई महिलाओं से 33 लाख रुपए से ज्यादा की ठगी करने के आरोप में 30 वर्षीय एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आरोपी कौशिक राज उर्फ अनिकेत सिंह राजपूत ने पीड़िताओं का विश्वास हासिल करने के लिए खुद को कथित तौर पर फैशन, विज्ञापन और इवेंट मैनेजमेंट क्षेत्र से जुड़ा एक सफल व्यवसायी बताया।

पूर्वी जिला पुलिस उपायुक्त ने मंगलवार को बताया कि एक महिला ने दस जुलाई को पूर्वी दिल्ली के मंडावली थाने में एक मामला दर्ज कराया, जिसमें उसने आरोप लगाया कि आरोपी ने सोशल मीडिया के माध्यम से उससे दोस्ती की, उससे शादी करने का वादा किया और दावा किया कि वह एक प्रतिष्ठित मोबाइल फोन निर्माण कंपनी में माडलिंग संबंधी काम दिला सकता है। पुलिस ने कहा कि आरोपी ने खुद को शिकायतकर्ता के परिवार के सामने उनका भावी दामाद बताकर पेश किया। पुलिस ने कहा कि उसने फर्जी कारोबारी जानकारी और ऊंची आय दर्शाने वाला जाली बायोडाटा दिखाया। पुलिस के मुताबिक, इतना ही नहीं, लग्जरी गाड़ियां और करोड़ों रुपये की महंगी संपत्तियां भी अपनी बताई।

परियोजना | पहले चरण में प्रत्येक दुकान से 25 कार्डधारकों को मिलेगा लाभ

एक सितंबर से 36 दुकानों पर डिजिटल मुद्रा से मिलेगा राशन

अनामिका सिंह
नई दिल्ली, 21 जुलाई।

केंद्र सरकार की केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (सीबीडीसी) को सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) से जोड़ने की दिशा में दिल्ली सरकार ने तैयारी तेज कर दी है। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने राजधानी के पांच जिलों की 36 सरकारी राशन दुकानों का चयन कर लिया है, जहां प्रायोगिक परियोजना के तहत डिजिटल रुपए के माध्यम से राशन वितरण शुरू किया जाएगा।

जानकारी के अनुसार, इन दुकानों पर सीबीडीसी योजना एक सितंबर से शुरू की जा सकती है, लेकिन पहले चरण में हरेक चयनित दुकानों से सिर्फ 25 राशनकार्डधारियों को सीबीडीसी योजना के तहत राशन दिया जाएगा। इसके लिए राशनकार्डधारियों के बैंक खाते में डिजिटल मुद्रा भेजी जाएगी, जिसे क्यूआर कोड के जरिए भुगतान कर लाभार्थी अपना राशन

विभाग नए तरीके की ई-पोस मशीनों को भी लेकर आ रहा है, जिसके लिए कोटाधारकों को तकनीकी जानकारी मुहैया करवाई जा रही है। इस नई मशीन में चेहरा प्रमाणीकरण, क्यूआर रीडिंग व स्मार्ट कार्ड चिप रीडिंग की तकनीक को जोड़ा गया है। साथ ही आने वाले समय में इस मशीन को तराजू से जोड़कर भी खाद्यान्न वितरण किया जा सकेगा। विभाग का मानना है कि इससे राशन वितरण प्रणाली में पारदर्शिता आएगी और सही मात्रा में अनाज लाभार्थी को मिल सकेगा। हालांकि वर्तमान में इस्तेमाल में लाई जा रही ई-पोस मशीनों को भी तराजू से जोड़ने का प्रयास किया गया था, लेकिन वह विफल साबित हुआ है।

प्राप्त कर सकेंगे। विभागीय सूत्रों के अनुसार, इसके लिए उन राशन दुकानों की सूची जारी कर दी गई है, जहां प्रायोगिक परियोजना के तहत सीबीडीसी योजना शुरू की जाएगी। इनमें सेंट्रल जिला, पूर्वी जिला, दक्षिण जिला व पश्चिम जिले से छह-छह दुकानों का चयन किया गया है। जबकि सर्वाधिक 12 दुकानों का चयन नई दिल्ली जिले से किया गया है। वर्तमान में गुजरात व पुदुचेरी में पायलेट प्रोजेक्ट के तहत सीबीडीसी योजना को शुरू किया गया है।

केनरा बैंक Canara Bank
भारत सरकार का उपक्रम A Government of India Undertaking
सिंडिकेट Syndicate
प्र.का., 112, जे.सी. रोड, बेंगलूरु-560 002

भौतिक प्रतिभूतियों के अंतरण और अमूर्तीकरण के लिए विशेष विंडो

सेबी के परिपत्र संख्या एचओ/38/13/11(2)2026-एमआरएसडी-पीओडी/I/3750/2026 दिनांक 30 जनवरी, 2026 के अनुपालन में सभी शेयरधारकों को सूचित किया जाता है कि 1 अप्रैल, 2019 से पूर्व क्रय/विक्रय की गई भौतिक प्रतिभूतियों के अंतरण एवं अमूर्तीकरण (डीमैट) को सुगम बनाने हेतु **05 फरवरी, 2026 से 04 फरवरी, 2027** तक एक वर्ष की अवधि के लिए विशेष अवसर प्रदान किया गया है।

यह सुविधा उन अंतरण विलेखों पर लागू होगी, जो 1 अप्रैल, 2019 से पूर्व प्रस्तुत किए गए थे, किन्तु दस्तावेजों/प्रक्रिया में कमी अथवा अन्य कारणों से अस्वीकृत, लौटाए गए अथवा लंबित रह गए थे।

निवेशक आवश्यक दस्तावेजों सहित अपना अनुरोध **04 फरवरी, 2027** तक बैंक के रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण अभिकर्ता (आरटीए) के पास प्रस्तुत कर सकते हैं।

रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण अभिकर्ता का विवरण निम्नानुसार है:
केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड
(केनरा बैंक इकाई)
सेलेनियम टॉवर-बी, प्लॉट सं. 31 एवं 32,
गाचीबौली, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुड़ा,
हैदराबाद-500 032, टोल-फ्री नं.: 1800-309-4001
ई-मेल: einward.ris@kfintech.com

सभी शेयरधारकों से अनुरोध है कि लाभांश के निर्बाध भुगतान तथा प्रभावी संचार सुनिश्चित करने के लिए अपने केवाईसी विवरण, जैसे पैन, ई-मेल आईडी, पता, मोबाइल नंबर तथा बैंक खाते का विवरण अद्यतन कर लें।

यदि शेयर डीमैट रूप में धारित हैं, तो संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागी (डीपी) के माध्यम से तथा यदि शेयर भौतिक रूप में धारित हैं, तो आरटीए के माध्यम से विवरण अद्यतन कराया जाए।

भौतिक रूप में शेयर धारित करने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपने शेयर प्रमाणपत्र संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागी (डीपी) को प्रस्तुत कर अपने शेयरों का अमूर्तीकरण (डीमैट) कराएँ।

बैंक द्वारा भौतिक प्रतिभूतियों के अंतरण एवं अमूर्तीकरण हेतु विशेष अवसर के संबंध में पूर्व में **02 अप्रैल, 2026 तथा 09 जून, 2026** को समाचार-पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित किए जा चुके हैं।

04 फरवरी, 2027 के पश्चात प्रस्तुत किए जाने वाले भौतिक प्रतिभूतियों के अंतरण एवं अमूर्तीकरण संबंधी अनुरोध बैंक/आरटीए द्वारा स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

हस्ताक्षरित/-
स्थान: बेंगलूरु — संतोष कुमार बारिक
दिनांक: 22.07.2026 — कंपनी सचिव

LG

एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया लिमिटेड
सीआईएन: L32107DL1997PLC220109
पंजीकृत कार्यालय: ए 24/6, मोहन सहकारी औद्योगिक एस्टेट, मथुरा रोड, नई दिल्ली 110 044
ई-मेल: cgc.india@lge.com वेबसाईट: www.lg.com/in/
टेलीफोन नं. +91 120 651 6700

एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया लिमिटेड की 29वीं वार्षिक आम बैठक
वीसी (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग)/ओएवीएम (अन्य ऑडियो विजुअल माध्यम) के माध्यम से आयोजित की जाएगी

1. एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी की 29वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) शुक्रवार, 21 अगस्त, 2026 को प्रातः 11:00 बजे (भारतीय मानक समय) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो विजुअल माध्यम (ओएवीएम) के माध्यम से आयोजित की जाएगी। यह सभा कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों के साथ पठित कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी सामान्य परिपत्र संख्या 14/2020, 17/2020, 20/2020, 02/2021, 19/2021, 21/2021, 03/2022, 10/2022, 11/2022, 09/2023, 09/2024 तथा 03/2025 एवं भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा जारी संबंधित परिपत्रों के अनुपालन में आयोजित की जाएगी, जिनके द्वारा सदस्यों की किसी सामान्य स्थान पर भौतिक उपस्थिति के बिना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) अथवा अन्य ऑडियो विजुअल माध्यम (ओएवीएम) के माध्यम से वार्षिक आम बैठक आयोजित करने की अनुमति प्रदान की गई है, ताकि सभा की सूचना में वर्णित सामान्य एवं विशेष कार्यों का निष्पादन किया जा सके।
2. उक्त परिपत्रों के अनुपालन में, वित्तीय वर्ष 2025-2026 की वार्षिक आम बैठक की सूचना, वार्षिक प्रतिवेदन सहित, उन सभी शेयरधारकों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रेषित की जाएगी, जिनके ई-मेल पते कंपनी, निक्षेपागार सहभागियों अथवा रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण अभिकर्ता के अभिलेखों में पंजीकृत/उपलब्ध हैं। जिन शेयरधारकों ने अपने ई-मेल पते पंजीकृत नहीं कराए हैं, उन्हें उनके कंपनी में पंजीकृत पते अथवा निक्षेपागारों से प्राप्त अभिलेखों के अनुसार उपलब्ध पते पर एक पत्र भी प्रेषित किया जाएगा, जिसमें वार्षिक प्रतिवेदन के पूर्ण विवरण उपलब्ध होने वाले वेब-लिंक सहित उसका सटीक पथ अंकित होगा। तथापि, यदि कंपनी के कोई शेयरधारक वार्षिक आम बैठक की सूचना तथा वार्षिक प्रतिवेदन की भौतिक प्रति प्राप्त करना चाहते हैं, तो वे cgc.india@lge.com पर अनुरोध प्रेषित कर कंपनी से उसकी भौतिक प्रति प्राप्त कर सकते हैं।
3. वार्षिक आम बैठक की सूचना तथा वार्षिक प्रतिवेदन कंपनी की वेबसाइट www.lg.com/in स्टॉक एक्सचेंजों अर्थात नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट www.nseindia.com तथा बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com और एनएसडीएल (दूरस्थ ई-मतदान सुविधा प्रदान करने वाली अभिकरण) की वेबसाइट https://www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध होंगे। ईमेल पता पंजीकृत/अद्यतन करने का तरीका:

डीमैट रूप में होल्डिंग	अपने निक्षेपागार सहभागी (डीपी) द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अपने डीमैट खाते में विवरण का पंजीकरण/अद्यतन कराएं।
भौतिक होल्डिंग	निर्धारित प्रपत्र आईएसआर-1 के साथ अन्य संबंधित प्रपत्र एवं आवश्यक सहायक दस्तावेज कंपनी के रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण अभिकर्ता, केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, यूनिट: एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया लिमिटेड, 301, द सेंट्रियम, तृतीय तल, 57, लाल बहादुर शास्त्री रोड, नवपाड़ा, कुर्ला (पश्चिम), मुंबई, महाराष्ट्र-400070 के पास अथवा ई-मेल Einward.ris@kfintech.com पर प्रस्तुत कर विवरण का पंजीकरण/अद्यतन कराएं। सदस्य निर्धारित प्रपत्र रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण अभिकर्ता की वेबसाइट https://ris.kfintech.com/clientservices/isc/isrforms.aspx से डाउनलोड कर सकते हैं।

4. शेयरधारकों को वार्षिक आम बैठक की सूचना में वर्णित कार्यों पर इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्रणाली के माध्यम से दूरस्थ रूप से अपना मत देने का अवसर प्राप्त होगा। विमूर्त रूप में शेयरधारित करने वाले शेयरधारकों, भौतिक रूप में शेयरधारित करने वाले शेयरधारकों तथा जिन शेयरधारकों ने अपना ईमेल पता पंजीकृत नहीं कराया है, उनके लिए दूरस्थ रूप से मतदान करने की प्रक्रिया वार्षिक आम बैठक की सूचना में उपलब्ध होगी।
5. 29वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना लागू कानूनों के अनुसार शीघ्र ही शेयरधारकों के उनके ईमेल पतों पर भेजी जाएगी।

कृते एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया लिमिटेड
हस्ताक्षर/-
अनुज गोयल
कंपनी सचिव — **नोएडा, तिथि: जुलाई 21, 2026**

ತೆರವು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ವೇಳೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅಟ್ಟಾಡಿಸಿ ಹಲ್ಲೆ

ಶಿವಾಜಿನಗರದಲ್ಲಿ ಪುಂಡರಿಂದ ಅಟ್ಟಹಾಸ | ಕೆಲಕಾಲ ಸ್ಥಗಿತ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬಳಿಕ ಪುನರಾರಂಭ

■ ವಿಜಯವಾಣಿ ಸುದ್ದಿಜಾಲ ಬೆಂಗಳೂರು

ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗದ ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ವೇಳೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮೇಲೆ ಕೆಲ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು, ಕನ್ನಡ ಪರ ಸಂಘಟನೆಯ ಮುಖಂಡ ಹಾಗೂ ಆತನ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಅಟ್ಟಾಡಿಸಿ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿರುವ ಪ್ರಸಂಗ ಶಿವಾಜಿನಗರದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ನಡೆದಿದೆ.

ಶಿವಾಜಿನಗರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಬಳಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸುವ ವೇಳೆ ಕೇಂದ್ರ ಪಾಲಿಕೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಿರುದ್ಧ ಕೆಲವರು ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ನಿಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಇತರರು ಗುಂಪುಗೂಡಿ ಪಾಲಿಕೆ ಎಇಇ ಮಾಧವ ರಾವ್ ಅವರನ್ನು ಥಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದವರೆಗೆ ತಳ್ಳಿಕೊಂಡು ಹೋದ ಗುಂಪು ನೆಲಕ್ಕೆ ದೂಡಿ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದೆ. ಹೆಲ್ಮೆಟ್, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕುರ್ಚಿ ಬಳಸಿ ಹೊಡೆದಿದೆ. ಜೆಸಿಬಿ ಚಾಲಕ ಹಾಗೂ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮೇಲೂ ಕೈ ಮಾಡಿದೆ. ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸುಮ್ಮನಾಗದ ಗುಂಪು ಏಕಾಏಕಿ ಮಹಿಳಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮೇಲೆ ಪೆಪ್ಪರ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಬಳಸಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಅಕ್ಷರಶಃ ಹೆದರಿದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪ್ರಾಣ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಬೇರೆಡೆಗೆ ಓಡಿಹೋಗಬೇಕಾಯಿತು.

■ ಬೌರಿಂಗ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಗಾಯಾಳು ಆರೋಗ್ಯ ವಿಚಾರಿಸಿದ ಜಿಬಿಎ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತ

■ ಹತ್ತು ಮಂದಿ ಬಂಧನ, ಪ್ರಮುಖರ ವಿರುದ್ಧ ಗೂಂಡಾ ಕೇಸ್‌ಗೆ ಸಚಿವರ ಸೂಚನೆ

ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಜನರು ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜಮಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಹೈಡ್ರಾಮವೇ ನಡೆದುಹೋಯಿತು. ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಹಲ್ಲೆಗೊಳಗಾದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಸಮೀಪದ ಬೌರಿಂಗ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಿಸಲಾಯಿತು. ಘಟನೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಕೆಲ ಕಾಲ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬಳಿಕ ಪುನರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು.

ಮುಖಂಡನ ಪತ್ತೆಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಬಲೆ: ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ ಮುಂದಾಳು 'ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಸೇನೆ' ಸಂಘಟನೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ. ಬಸವರಾಜ ಪಡುಕೋಟಿ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈತ ಕೆಲ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಬಳಿ ಹಣ ವಸೂಲಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಘಟನೆ ನಡೆದ ಬಳಿಕ ಈತ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಪಲಾಯನಗೈದಿದ್ದು, ಇತರ 10 ಮಂದಿಯನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಸವರಾಜನನ್ನು ರಾತ್ರಿ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರ ಭೇಟಿ, ಪರಿಶೀಲನೆ: ಘಟನೆ ಬಳಿಕ ಕೇಂದ್ರ ಪಾಲಿಕೆ ಆಯುಕ್ತ ಜಿ. ಜಗದೀಶ್ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದರು. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಜಿಬಿಎ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತ ಎಂ. ಮಹೇಶ್ವರ ರಾವ್ ಕೂಡ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದರು. ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಚಾರಿಸಿ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿದರು. ಜತೆಗೆ ಬೇಗನೆ ಗುಣಮುಖರಾಗುವಂತೆ ಹಾರೈಸಿದರು. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಪರ ಆಯುಕ್ತ ವೆಂಕಟಾಚಲ ಪತಿ, ಜಂಟಿ ಆಯುಕ್ತ ರಂಗನಾಥ್, ಹೇಮಂತ್ ಶರಣ್ ಇದ್ದರು.

ವಿಜಯವಾಣಿ ಚಿತ್ರಗಳು

ಶಿವಾಜಿನಗರದಲ್ಲಿ ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗದ ಮೇಲಿದ್ದ ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನು ಜೆಸಿಬಿ ಮೂಲಕ ತೆರವುಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು.

11 ಮಂದಿ ಆರೋಪಿಗಳ ಸೆರೆ

ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿ ಬಸವರಾಜ ಪಡುಕೋಟಿ ಸೇರಿ 11 ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದ್ದ ದೃಶ್ಯಾವಳಿ ಆಧರಿಸಿ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಹೆಡೆಮುರಿ ಕಟ್ಟಲಾಗಿದೆ. ಬಸವರಾಜ (28), ರಂಗಸ್ವಾಮಿ (49), ಕಿರಣ್ (34), ರಂಜಿತ್ (19), ರಘು (28), ಪಾರ್ಥಿಬನ್ (23), ಮುಜಾಹಿದಾ ಅಹಮದ್ (39), ಕೊಟ್ರೇಶ್ (26), ಪರಶುರಾಮ್ (27) ಹಾಗೂ ಭರತ್ (24) ಬಂಧಿತರು. ಆರೋಪಿಗಳ ಬಂಧನವನ್ನು ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ ಸೀಮಂತ್‌ಕುಮಾರ್ ಸಿಂಗ್ ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆದಿರುವುದು ಖಂಡನೀಯ. ಇಂತಹ ಘಟನೆ ಆಗಬಾರದಿತ್ತು. ಕೆಲ ಸಮಾಜಘಾತುಕ ಶಕ್ತಿಗಳು ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇನ್ನುಮುಂದೆ ಇಂತಹ ಘಟನೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಹಲ್ಲೆಗೊಳಗಾದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ವೇಳೆ ಅಗತ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಪಡೆ ನಿಯೋಜಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು.

| ಎಂ.ಮಹೇಶ್ವರ ರಾವ್
ಜಿಬಿಎ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತ

ಗೂಂಡಾ ಕೇಸ್ ಹಾಕಲು ಸೂಚನೆ

ತೆರವು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ವೇಳೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮೇಲೆ ನಡೆದಿರುವ ಹಲ್ಲೆಯನ್ನು ಖಂಡಿಸಿರುವ ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವ ಕೃಷ್ಣಬೈರೇಗೌಡ, ಹಲ್ಲೆಗೆ ಕಾರಣನಾದ ಮುಖಂಡ ಬಸವರಾಜ ವಿರುದ್ಧ ಗೂಂಡಾ ಕಾಯ್ದೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸುವಂತೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಿರುದ್ಧ ಕೈ ಮಾಡಿದರೆ ಸುಮ್ಮನಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಡಿಯೋ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಆರೋಪಿ ಸೆರೆ

ಜಿಬಿಎ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ 10 ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿರುವ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿ ಬಸವರಾಜ ಪಡುಕೋಟಿ ತಡ ರಾತ್ರಿವರೆಗೂ ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಬಸವರಾಜ್ ಅಜ್ಞಾತ ಸ್ಥಳದಿಂದಲೇ ಸೆಲ್ಫಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ, ನಾವು ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅವರೇ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದದಿಂದ ನಿಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹರಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದ. ಈ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಬಸವರಾಜ ಇರುವ ಸ್ಥಳ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

> ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣದಿಂದ ತೆರವು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಇಲ್ಲ. ಒತ್ತುವರಿ ವಿರುದ್ಧ ನಿರ್ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು.
> | ಜಿ. ಜಗದೀಶ್ ಕೇಂದ್ರ ಪಾಲಿಕೆ ಆಯುಕ್ತ

> ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವವರ ಮೇಲೆ ನಿರ್ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಜತೆಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೂ ಅಗತ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ ಒದಗಿಸಬೇಕು. ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ತೆರವು ಕಾರ್ಯ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿರುವಂತೆ ಪಾಲಿಕೆ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ನಿಗಾ ವಹಿಸಲಿ.
> | ಎ. ಅಮೃತ್‌ರಾಜ್ ಜಿಬಿಎ ಅಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ನೌಕರರ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ

ಠಾಣೆ ಎದುರು ನೌಕರರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

ಘಟನೆ ಖಂಡಿಸಿ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಎದುರು ಜಿಬಿಎ ಅಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ನೌಕರರ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎ. ಅಮೃತ್‌ರಾಜ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ನೌಕರರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು. ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸುವವರೆಗೂ ಸ್ಥಳಬಿಟ್ಟು ಕದಲುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದು ಕುಳಿತರು. ಕೆಲ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲೇ 10 ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ನೌಕರರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ವಾಪಸ್ ಪಡೆದರು.

ಹಲ್ಲೆಗೊಳಗಾದವರು

1. ಮಾಧವರಾವ್, ಎಇಇ
2. ಸಾವಿತ್ರಿ, ಎಇಇ
3. ರುಚಿತಾ, ಎಇ
4. ಸಿದ್ದಪ್ಪ, ಜೆಸಿಬಿ ಚಾಲಕ
5. ಸುನೀಲ್, ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ

13 ಸಾವಿರ ಮತದಾರರಿಗೆ ಕೊಕ್

ಬೆಂಗಳೂರು: ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಎಚ್‌ಎಸ್‌ಆರ್ ಲೇಔಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಕ್ರಮವಲ್ಲ. ಇದು ನಾಗರಿಕರ ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕಿನ ಮೇಲಿನ ಆಕ್ರಮಣ ಎಂದು ಸಂಸದ ತೇಜಸ್ವಿ ಸೂರ್ಯ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿಗೆ ದೂರು ಸಹ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

■ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ತೇಜಸ್ವಿಸೂರ್ಯ ದೂರು

ಯಾವುದೇ ಭೌತಿಕ ತನಿಖೆ ಇಲ್ಲ, ಬಿಎಲ್‌ಎ-2 ಏಜೆಂಟರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಯೇ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲೋ ಕುಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಒಂದೇ ಏಟಿಗೆ 13 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅರ್ಹ ಮತದಾರರನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡವರು ಎಂದು ಪಟ್ಟಿಯಿಂದಲೇ ಕೈಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಪರಿಶೀಲನೆಯೋ? ಅಥವಾ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಹಗಲು ದರೋಡೆಯೋ ಎಂಬುದನ್ನು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜಿಪಿಎಸ್ ಆಧಾರಿತ ಫೋಟೋ ಸಾಕ್ಷಿ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹಚ್ಚಬೇಕಿದ್ದ ಎನ್ಯುಮಲೇಷನ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದವು? ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೇ ಹೋಗದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸುಳ್ಳು ವರದಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದೇಕೆ? ಇದು ಕೇವಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿಯಲ್ಲ, ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದವರ ಕುಮ್ಮಕ್ಕಿನಿಂದ ನಡೆದ ಬೃಹತ್ ಚುನಾವಣಾ ಅಕ್ರಮ. ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಹಕ್ಕು ಕದಿಯುವ ಧೈರ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾರ ಕುಮ್ಮಕ್ಕಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ರಸ್ತೆಬದಿ ಕಟ್ಟಡ ಅವಶೇಷಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್

ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಹಾಗೂ ಖಾಲಿ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಸುರಿಯಲಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಕಟ್ಟಡ ಮತ್ತು ಭಗ್ನಾವಶೇಷ (ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿ) ತ್ಯಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಲು ಜಿಬಿಎ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿದೆ. ನಗರದ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿರುವ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಲ್ಲು ಕ್ವಾರಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ಮರುಬಳಕೆಗೆ ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲದ ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿ ಹಾಗೂ ಇನರ್ಟ್ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ.

ಕಟ್ಟಡ ಮತ್ತು ಭಗ್ನಾವಶೇಷ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ನಿಯಮ-2025ರಡಿ ಪಿಪಿಪಿ ಮಾದರಿ ಯಲ್ಲಿ 6 ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ಗಳಿಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರನ್ನು ನೇಮಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕಗಳು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾರಂಭಿಸುವವರೆಗೆ ಈ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿದೆ. ಬಿದರಹಳ್ಳಿ, ಮಾರೇನಹಳ್ಳಿ, ಯಲಹಂಕ, ವೆಂಕಟಾಪುರ, ದಾಸನಪುರ, ವಿಟ್ಟಸಂದ್ರ, ಆನೇಕಲ್, ಜಿಗಣಿ ಹಾಗೂ ಬೇಗೂರು ಪ್ರದೇಶಗಳ ಕಲ್ಲು ಕ್ವಾರಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ ಅನುಮೋದನೆ ದೊರೆತಿದ್ದು, ರಸ್ತೆಬದಿ ಧೂಳು ಮಾಲಿನ್ಯ ತಗ್ಗಿಸಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಗೂ ನಗರ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕಾಪಾಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇದು ಮಹತ್ವದ ಕ್ರಮವೆಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ Canara Bank
A Government of India Undertaking
Syndicate

ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ, 112, ಜೆ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು – 560002

ಭೌತಿಕ ಷೇರುಗಳ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮತ್ತು ಡಿಮೆಟೀರಿಯಲೈಸೇಷನ್‌ಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಅವಕಾಶ

ಸೆಬಿ ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಂ. HO/38/13/11(2)2026-MIRSD-POD/I/3750/2026 ದಿನಾಂಕ : ಜನವರಿ 30, 2026 ಗೆ ಅನುಸರಣೆಯಾಗಿ, ಏಪ್ರಿಲ್ 1, 2019 ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಮಾರಿದ / ಖರೀದಿಸಿದ ಭೌತಿಕ ಷೇರುಗಳ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮತ್ತು ಡಿಮೆಟೀರಿಯಲೈಸೇಷನ್‌ಗಾಗಿ ("ಡಿಮ್ಯಾಟ್") ವಿಶೇಷ ಅವಕಾಶವನ್ನು **ಫೆಬ್ರವರಿ 05, 2026 ರಿಂದ ಫೆಬ್ರವರಿ 04, 2027** ರವರೆಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಗಾಗಿ ತೆರೆಯಲಾಗಿರುವುದನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಷೇರುದಾರರಿಗೆ ಈ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಏಪ್ರಿಲ್ 1, 2019ಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ಮತ್ತು ದಾಖಲೆಗಳು / ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ / ಇತರೆ ಕೊರತೆಗಳಿಗಾಗಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ / ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾದ / ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಿಲ್ಲದ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕೋರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಈ ಅವಕಾಶವು ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.

ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಮತ್ತು ವರ್ಗಾವಣೆ ಏಜೆಂಟ್ (ಆರ್‌ಟಿಎ) ರವರಿಗೆ **ಫೆಬ್ರವರಿ 04, 2027** ರವರೆಗೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಕೋರಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.

ಆರ್‌ಟಿಎ ವಿವರಗಳು ಕೆಳಕಂಡಂತಿವೆ :
ಕೆಫಿನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್
(ಯೂನಿಟ್ : ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್)
ಸೆಲೆನಿಯಂ ಟವರ್ ಬಿ, ಪ್ಲಾಟ್ 31 & 32,
ಗಾಚಿಬೌಲಿ, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್, ನಾನಕ್‌ರಾಮ್‌ಗುಡ,
ಹೈದರಾಬಾದ್ – 500032, ಟೋಲ್ ಫ್ರೀ ಸಂ. : 1800–309–4001
ಇಮೇಲ್ : einward.ris@kfintech.com

ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಮತ್ತು ಲಾಭಾಂಶದ ಅಡೆತಡೆರಹಿತ ಪಾವತಿಗಾಗಿ ಷೇರುದಾರರು ತಮ್ಮ ಪಿಎಎನ್, ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ, ವಿಳಾಸ, ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಕೆವೈಸಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ಡಿಪಿ ಯೊಂದಿಗೆ (ಷೇರುಗಳನ್ನು ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ) ಅಥವಾ ಆರ್‌ಟಿಎ ಯೊಂದಿಗೆ (ಷೇರುಗಳನ್ನು ಭೌತಿಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ) ಅಪ್‌ಡೇಟ್ ಮಾಡಲು ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ಷೇರುದಾರರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ.

ಭೌತಿಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಷೇರುದಾರರು, ತಮ್ಮ ಷೇರು ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಠೇವಣಿ ಭಾಗೀದಾರರಿಗೆ (ಡಿಪಿ) ಸಲ್ಲಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಕೋರಲಾಗಿದೆ.

ಭೌತಿಕ ಷೇರುಗಳ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮತ್ತು ಡಿಮೆಟೀರಿಯಲೈಸೇಷನ್‌ಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಅವಕಾಶದ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಯ ಜಾಹೀರಾತನ್ನು **ಏಪ್ರಿಲ್ 02, 2026 ಮತ್ತು ಜೂನ್ 09, 2026** ರಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.

ಫೆಬ್ರವರಿ 04, 2027ರ ನಂತರ ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮತ್ತು ಡಿಮೆಟೀರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಕೋರಿಕೆಗಳನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ / ಆರ್‌ಟಿಎ ರವರಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಸಹಿ/–
ಸ್ಥಳ : ಬೆಂಗಳೂರು — ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಬಾರಿಕ್
ದಿನಾಂಕ : 22–07–2026 — ಕಂಪನಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ

ಬರ ಎದುರಿಸಲು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ ನಿನೋ ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯದಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆ, ಮಳೆ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಬರದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಸಮಗ್ರ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ ರೂಪಿಸಿದೆ.

ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಾಗರ ಮಾಹಿತಿ ಸೇವೆಗಳ ಕೇಂದ್ರ ನೀಡಿರುವ ಸೂಚನೆಯಂತೆ, ಎಲ್ ನಿನೋ ಪರಿಣಾಮವು 2027ರ ಮೇ ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇದರಿಂದ ನೈಋತ್ಯ ಮುಂಗಾರು ದುರ್ಬಲಗೊಂಡು ಜಲಾಶಯಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಕುಸಿತ, ಕೃಷಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಇಳಿಕೆ ಹಾಗೂ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗುವ ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.

■ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕ